

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 249

दिनांक 08.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

शुद्धिकरण के पश्चात जल का पुनः उपयोग

249. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री रवि किशन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हाल ही में प्रकाशित नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में केवल पांच प्रतिशत जल का शुद्धिकरण के बाद पुनः उपयोग किया जाता है और भारत इस संबंध में दुनिया के अन्य देशों से बहुत पीछे है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) देश में घटते जल भंडारों को संरक्षित करने और जनसंख्या एवं उपलब्ध जल भंडार/संसाधनों के बीच असमानता को कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
- (घ) क्या सरकार ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जिसके माध्यम से उपयोग किए गए पानी की अधिकतम मात्रा को पुनः उपयोग के लिए शुद्ध किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) सरकार द्वारा पानी के शुद्धिकरण के बाद इसकी अधिकतम मात्रा का पुनः उपयोग करने के लिए किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों को कोई धनराशि स्वीकृत और जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (च): भारत सरकार अगस्त 2019 से, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कर रही है ताकि वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण

परिवार को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके।

जल आपूर्ति राज्य का विषय होने के नाते पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें ही करती हैं। जल आपूर्ति/जल एवं स्वच्छता/सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और/या संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अर्ध-सरकारी (पैरास्टेटल) संगठन, अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जल की आपूर्ति की व्यवस्था करने और आपूर्तित जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

जेजेएम के तहत पेयजल स्कीमों की योजना बनाते समय ग्रे-वाटर शोधन और इसका पुनःउपयोग एक महत्वपूर्ण घटक है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार करने का प्रावधान किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एसबीएम (जी), मनरेगा, ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान, एमपी और एमएलए की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर निधि, आदि जैसी योजनाओं के तालमेल से ग्रे-वाटर प्रबंधन अवसंरचना का निर्माण करना शामिल है। अतः ग्रे-वाटर प्रबंधन की प्रगति सहित राज्यों द्वारा किए गए वित्तीय परिव्यय के ब्यौरे भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

तकनीकी समाधानों के लिए, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है जो सरकारी/स्वायत्त/निजी संस्थाओं से प्राप्त विभिन्न नवाचारों और जल संबंधी प्रौद्योगिकियों की जांच और सिफारिश करेगी, जिनका उपयोग प्रत्येक परिवार को पीने योग्य नल जल आपूर्ति प्रदान करने में किया जा सकता है।

नीति आयोग की भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य रिपोर्ट 2022 में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में, भारत प्रतिदिन 72,368 मिलियन लीटर (एमएलडी) शहरी अपशिष्ट जल उत्पन्न करता है, और केवल 28% (20,236 एमएलडी) को शोधित किया जाता है।

राष्ट्रीय जल नीति (2012) में कहा गया है कि प्राथमिक शोधन के बाद, रसोई और बाथरूम से निकले शहरी जल अपशिष्ट को फ्लश शौचालयों में पुनः उपयोग को, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई मानव संपर्क न हो।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने और शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाने के लिए देश के सभी वैधानिक कस्बों को कवर करते हुए 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 का शुभारंभ किया गया है। इसमें जल निकायों के कायाकल्प, शहरी जलभृत प्रबंधन, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने और स्वच्छ पानी के संसाधनों को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन की परिकल्पना की गई है।

अमृत 2.0 शोधित जल के पुनर्चक्रण और गैर-पेयजल आवश्यकताओं जैसे उद्योगों, कृषि आदि के लिए पुनः उपयोग परियोजनाओं का समर्थन करता है। जल आपूर्ति परियोजनाओं के अंतर्गत शोधित प्रयुक्त जल का पुनः उपयोग, एंड-टू-एंड पुनः उपयोग योजना (अधिमानतः पीपीपी मोड में) के साथ तृतीयक शोधन, एंड-टू-एंड शोधन और पुनः उपयोग के साथ सीवरेज प्रणालियों की व्यवस्था/संवर्धन

और पुनर्वास, रिसाइकिल किए गए प्रयुक्त जल के थोक उपयोगकर्ताओं की पहचान करना और संभावित उपयोगकर्ताओं को प्रयुक्त जल की बिक्री की सुविधा प्रदान करना आदि स्वीकार्य तत्व हैं।

राष्ट्रीय जल मिशन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पुनः उपयोग और जल के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु समय-समय पर जल वार्ता, वेबिनार, प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां आदि जैसे जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

केन्द्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश के 143 जलाशयों की लाइव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है। इन 143 जलाशयों की कुल लाइव संग्रहण क्षमता 177.464 बीसीएम है, जो देश की अनुमानित लाइव संग्रहण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 68.83% है। 01.12.2022 की स्थिति के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध लाइव संग्रहण 146.553 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल लाइव संग्रहण क्षमता का 83% है।

देश में भूजल संसाधनों की कमी को रोकने और इसके सुधार सहित सतत भूजल प्रबंधन के लिए उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: http://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/Steps%20taken%20by%20the%20Central%20Govt%20for%20water_depletion_july2022.pdf
